



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD

(U.P. Govt. Undertaking)

14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या: 170-उनिनि/रिफॉर्म/विनियम:217-217.21/एकाउन्ट्स आफिसर्स/2023

दिनांक: 14/09/2023

कार्यालय ज्ञाप

निगम के "आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन" में निहित विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.08.2023 को सम्पन्न 217वीं बैठक में एजेण्डा आइटम सं०-217.21 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में एतद्वारा उत्पादन निगम लि० हेतु लेखा संवर्ग के अन्तर्गत वरिष्ठ लेखाधिकारी, उपमुख्य लेखाधिकारी, महाप्रबन्धक एवं मुख्य महाप्रबन्धक के पदों पर चयन वर्ष 2023-24 हेतु Lateral Entry के माध्यम से सीधी भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में "उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद लेखा (अधिकारी) सेवा विनियमावली-1984 (यथा संशोधित)" के परिषदादेश संख्या-335-Regulation-23/SEB-93-ASR-85 dated 26.02.1994 में उक्त पदों हेतु अद्यतन स्तम्भ-1 के अनुसार उपलब्ध व्यवस्थाओं के स्थान पर स्तम्भ-2 की व्यवस्था एक चयन वर्ष (2023-24) के लिये निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :-

भर्ती का स्रोत	
According to the Existing "UPSEB Accounts (Officers) Service Regulations, 1984 (as Ammended)" (परिषदादेश सं०-335-Regulation-23/SEB-93-ASR-85 Dated 26.02.1994)	नवीन प्रतिस्थापित व्यवस्था
स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
7. Sources of Recruitment Group-I(A) Audit and Accounts	7. Sources of Recruitment Group-I(A) Audit and Accounts
5. Sr. Accounts Officer / Sr. Audit Officer By promotion from Accounts Officer/Audit Officer who have put in a minimum of 7 years service on that post100%	5.(i) वरिष्ठ लेखाधिकारी के 03 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्तियां की जायेंगी। (ii) शेष पद, लेखाधिकारी पद पर कार्यरत ऐसे कार्मिकों से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, जिन्होंने 07 वर्ष की न्यूनतम सेवा उक्त पद पर पूर्ण कर ली हो।
6. Dy. Financial Adviser/ Dy. Chief Accounts Officer/Dy. Chief Audit Officer By promotion from amongst Sr. Account Officer /Sr. Audit Officer who have put in a minimum of 4 years service as such 100%. Provided that after coming in to force of UPSEB	6.(i) उप मुख्य लेखाधिकारी के 02 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्तियां की जायेंगी। (ii) शेष पद, वरिष्ठ लेखाधिकारी पद पर कार्यरत ऐसे कार्मिकों से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, जिन्होंने 04 वर्ष की न्यूनतम सेवा उक्त पद पर पूर्ण कर ली हो।

Accounts (Officers) Service Regulations 1994 recruitment made to the cadre the ratio of 50% by promotion from amongst Sr. Accounts Officer/Sr. Audit Officer and 50% by recruitment from amongst special Accounts Officer in accordance with Board's Resolution No. Seven (6), 1983 dated 22.12.83 shall be deemed to have been made in relaxation of the said regulations 1984 in accordance with regulation 38 thereof and shall be valid not withstanding anything contained in these Regulation.

8. *Controller of Finance and/or Accounts and/or Audit

By promotion from Financial Advisor and/or Chief Accounts Officer and/or Chief Audit Officer who have put in a minimum of 4 years service as such.....100%

*आदेश सं०-19-ज०श०-०८/पाकालि/दिनांक 04.02.2000 द्वारा महाप्रबन्धक के पदनाम में परिवर्तित।

8.(i) महाप्रबन्धक के 01 पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति की जायेगी।

(ii) शेष पद, उप महाप्रबन्धक (लेखा) पद पर कार्यरत ऐसे कार्मिकों से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, जिन्होंने 04 वर्ष की न्यूनतम सेवा उक्त पद पर पूर्ण कर ली हो।

9. *Chief Controller of Finance and/or Accounts and/or Audit

By promotion from Controller of Finance and/or Accounts and/or Audit who have put in a minimum of 2 years service as such....100%

*आदेश सं०-19-ज०श०-०८/पाकालि/दिनांक 04.02.2000 द्वारा मुख्य महाप्रबन्धक के पदनाम में परिवर्तित।

9. मुख्य महाप्रबन्धक के स्वीकृत 01 मात्र पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति की जायेगी।

उपरोक्त पदों हेतु शैक्षिक/अधिमानी योग्यता/अर्हता (सीधी भर्ती हेतु) :-

UPSEB Accounts (Officers) Service Regulations, 1984 के अन्तर्गत पूर्व में विद्यमान व्यवस्था (यदि कोई रही हो तो)

नवीन प्रतिस्थापित व्यवस्था

12.(iii) Senior Accounts Officer/ Senior Audit Officer and Senior Cost Accounts Officer:

(1) Cost Accountant or Chartered Accountant or other qualification considered equivalent thereto by

1. वरिष्ठ लेखाधिकारी

(i) वेतनमान :-

सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (रु० 67,700-2,08,700)

(ii) आयु सीमा:- अधिकतम 42 वर्ष

<p>the Board or the State Government with a minimum of 3 years experience of working in the Finance/Accounts/Cost/Audit branch of a large private/public sector undertaking, preferably a public-utility undertaking.</p> <p>(2) Persons employed in a senior position (officer rank) in the commercial Audit Wing of the C&AG/Defence Accounts Department/Commercial Accounts Organisation of the Railways or any other large Public Sector Undertaking with atleast 5 years experience.</p>	<p>(iii) शैक्षिक अर्हता:- सी०ए०/सी०एम०ए०(आई०सी०डब्ल्यू०ए०)/एम०बी०ए० (फाइनेन्स) फुल टाइम अनिवार्य अर्हता होगी।</p> <p>(iv) अनुभव:- सरकारी/सरकार के उपक्रम अथवा निजी क्षेत्रों के संस्थानों में निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के उपरान्त 07 वर्ष का वित्त, लेखा, सम्प्रेक्षा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष टैक्सेशन आदि क्षेत्र में अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव रू० 200 करोड़ या अधिक के वार्षिक टर्न-ओवर वाली कम्पनी/संस्थान में अनिवार्य है।</p> <p>(v) सीधी भर्ती हेतु सुरक्षित पदों पर विभागीय कार्मिक आवेदन कर सकेंगे परन्तु उक्त पद पर चयन को पूर्ण रूप से सीधी भर्ती के माध्यम से नई नियुक्ति माना जायेगा। उपरोक्त पद पर नियुक्ति की तिथि से पूर्व में की गयी सेवा (निगम/वाह्य संस्थानों की सेवा हेतु) सम्बन्धी किसी प्रकार के वित्तीय हित लाभ संरक्षित नहीं किये जाएंगे, परन्तु केवल ग्रेच्युटी/अवकाश सम्बन्धी लाभ हेतु उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० एवं अन्य ऊर्जा निगमों की पूर्व की सेवा अवधि को जोड़ा जायेगा।</p>
<p>- उप मुख्य लेखाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु पूर्व में कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं रही है।</p>	<p>2. उप मुख्य लेखाधिकारी</p> <p>(i) वेतनमान :- सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पे-मैट्रिक्स लेवल-12 (रू० 1,23,100-2,15,900)</p> <p>(ii) आयु सीमा:- अधिकतम 46 वर्ष</p> <p>(iii) शैक्षिक अर्हता:- सी०ए०/सी०एम०ए०(आई०सी०डब्ल्यू०ए०)/एम०बी०ए० (फाइनेन्स) फुल टाइम अनिवार्य अर्हता होगी।</p> <p>(iv) अनुभव:- सरकारी/सरकार के उपक्रम अथवा निजी क्षेत्रों के संस्थानों में निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के उपरान्त 11 वर्ष का वित्त, लेखा, सम्प्रेक्षा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष टैक्सेशन आदि क्षेत्र में अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव रू० 200 करोड़ या अधिक के वार्षिक टर्न-ओवर वाली कम्पनी/संस्थान में अनिवार्य है।</p> <p>(v) सीधी भर्ती हेतु सुरक्षित पदों पर विभागीय कार्मिक आवेदन कर सकेंगे परन्तु उक्त पद पर चयन को पूर्ण रूप से सीधी भर्ती के माध्यम से नई नियुक्ति माना जायेगा। उपरोक्त पद पर नियुक्ति की तिथि से पूर्व में की गयी सेवा (निगम/वाह्य संस्थानों की सेवा हेतु) सम्बन्धी किसी प्रकार के वित्तीय हित लाभ संरक्षित नहीं किये जाएंगे, परन्तु केवल ग्रेच्युटी/अवकाश सम्बन्धी लाभ हेतु उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० एवं अन्य ऊर्जा निगमों की पूर्व की सेवा अवधि को जोड़ा जायेगा।</p>

<p>12.(v)*<u>Controller of Finance and/or Accounts and/or Audit and Controller of Cost:</u></p> <p>Persons having atleast 12 years experience as Chartered/Cost Accountant drawn from other State Electricity Boards, Public Sector Undertaking (Central/State) or from Indian , Audit & Accounts Service/Indian Railways Accounts Service/Defence Accounts (with Commercial background).</p> <p>*आदेश सं०-19-ज०श०-08/पाकालि/दिनांक 04.02.2000 द्वारा महाप्रबन्धक के पदनाम में परिवर्तित।</p>	<p>3. महाप्रबन्धक</p> <p>(i) वेतनमान :- सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पे-मैट्रिक्स लेवल-14 (रु० 1,44,200-2,18,200)</p> <p>(ii) आयु सीमा:- अधिकतम 52 वर्ष</p> <p>(iii) शैक्षिक अर्हता:- सी०ए०/सी०एम०ए०(आई०सी०डब्ल्यू०ए०)/एम०बी०ए० (फाइनेन्स) फुल टाइम अनिवार्य अर्हता होगी।</p> <p>(iv) अनुभव:- सरकारी/सरकार के उपक्रम अथवा निजी क्षेत्रों के संस्थानों में निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के उपरान्त 18 वर्ष का वित्त, लेखा, सम्प्रेक्षा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष टैक्सेशन आदि क्षेत्र में अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 08 वर्ष का अनुभव रु० 200 करोड़ या अधिक के वार्षिक टर्न-ओवर वाली कम्पनी/संस्थान में अनिवार्य है।</p> <p>(v) सीधी भर्ती हेतु सुरक्षित पदों पर विभागीय कार्मिक आवेदन कर सकेंगे परन्तु उक्त पद पर चयन को पूर्ण रूप से सीधी भर्ती के माध्यम से नई नियुक्ति माना जायेगा। उपरोक्त पद पर नियुक्ति की तिथि से पूर्व में की गयी सेवा (निगम/वाह्य संस्थानों की सेवा हेतु) सम्बन्धी किसी प्रकार के वित्तीय हित लाभ संरक्षित नहीं किये जाएंगे, परन्तु केवल ग्रेच्युटी/अवकाश सम्बन्धी लाभ हेतु उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० एवं अन्य ऊर्जा निगमों की पूर्व की सेवा अवधि को जोड़ा जायेगा।</p>
<p>12.(vi)*<u>Chief Controller of Finance and/or Accounts and/or Audit and Chief Controller of Cost:</u></p> <p>Persons having atleast 15 years experience as Chartered/Cost Accountant drawn from other State Electricity Boards, Public Sector Undertaking (Central/State) or from Indian Audit & Accounts Service/Indian Railways Accounts Service/Defence Accounts (with Commercial background).</p> <p>*आदेश सं०-19-ज०श०-08/पाकालि/दिनांक 04.02.2000 द्वारा मुख्य महाप्रबन्धक के पदनाम में परिवर्तित।</p>	<p>4. मुख्य महाप्रबन्धक</p> <p>(i) वेतनमान :- सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पे-मैट्रिक्स लेवल-15 (रु० 1,71,400-2,23,600)</p> <p>(ii) आयु सीमा:- अधिकतम 55 वर्ष</p> <p>(iii) शैक्षिक अर्हता:- सी०ए०/सी०एम०ए०(आई०सी०डब्ल्यू०ए०)/एम०बी०ए० (फाइनेन्स) फुल टाइम अनिवार्य अर्हता होगी।</p> <p>(iv) अनुभव:- सरकारी/सरकार के उपक्रम अथवा निजी क्षेत्रों के संस्थानों में निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के उपरान्त 20 वर्ष का वित्त, लेखा, सम्प्रेक्षा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष टैक्सेशन आदि क्षेत्र में अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रु० 200 करोड़ या अधिक के वार्षिक टर्न-ओवर वाली कम्पनी/संस्थान में अनिवार्य है।</p> <p>(v) सीधी भर्ती हेतु सुरक्षित पदों पर विभागीय कार्मिक आवेदन कर सकेंगे परन्तु उक्त पद पर चयन को पूर्ण रूप से सीधी भर्ती के माध्यम</p>

	<p>से नई नियुक्ति माना जायेगा। उपरोक्त पद पर नियुक्ति की तिथि से पूर्व में की गयी सेवा (निगम/वाह्य संस्थानों की सेवा हेतु) सम्बन्धी किसी प्रकार के वित्तीय हित लाभ संरक्षित नहीं किये जाएंगे, परन्तु केवल ग्रेच्युटी/अवकाश सम्बन्धी लाभ हेतु उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० एवं अन्य ऊर्जा निगमों की पूर्व की सेवा अवधि को जोड़ा जायेगा।</p>
<p>17.(B) Direct recruitment to the posts of- (1) Senior Accounts Officer/ Senior Audit Officer (3) *Controller of Finance and/or Accounts and/or Audit (4) *Chief Controller of Finance and/or Accounts and/or Audit</p> <p>shall be made through an Interview which will be held at such place as may be notified by the Appointing Authority from time to time.</p> <p>*आदेश सं०-19-ज०श०-०८/पाकालि/दिनांक ०४.०२.२००० द्वारा पदनाम परिवर्तित।</p>	<p>5. मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उप मुख्य लेखाधिकारी एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के माध्यम से चयनित किया जाएगा। साक्षात्कार 100 अंको का होगा।</p>

- (ii) उपरोक्तानुसार विनियमावली के संशोधन हेतु प्रतिस्थापित व्यवस्था के प्रख्यापन उपरान्त "उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद लेखा (अधिकारी) सेवा विनियमावली-1984 (यथा संशोधित)" उक्त सीमा तक, चयन वर्ष 2023-24 में लेखा संवर्ग (लेखा एवं सम्प्रेक्षा) के वरिष्ठ लेखाधिकारी, उपमुख्य लेखाधिकारी, महाप्रबन्धक एवं मुख्य महाप्रबन्धक के पद पर नियुक्ति के लिए, इस परन्तुक के साथ संशोधित मानी जायेगी कि चयन वर्ष 2023-24 के उपरान्त पूर्व में प्रचलित व्यवस्थायें उक्त पदों हेतु स्वमेव पुनर्स्थापित हो जायेंगी। उक्त के अतिरिक्त विनियमावली के अन्य समस्त प्राविधान यथावत् रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या: 170-उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:217-217.21/एकाउन्ट्स आफिसर्स/2023 तददिनांक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का०प्रबं० एवं प्रशा०/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र /सोनभद्र/झाँसी/कानपुर/अलीगढ़/एटा)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), तापीय परिचालन/मानव संसाधन/वाणिज्य/ईंधन/आर०एण्ड०एम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद नव-परियोजना, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

6. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), पीपीएमएम/न्यू कोल ब्लॉक/प्रगति, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, टी० सी०-46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, एस०एल०डी०सी० परिसर (निकट मंत्री आवास), विभूति खण्ड फेज-2, गोमती नगर, लखनऊ-226010।
8. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 28.08.2023 को सम्पन्न 217वीं बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा आइटम संख्या-217.21 में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में।
10. अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-01/03/04/05/रिफॉर्म/टा०वा०से०/प्रशिक्षण), उ०नि०लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०-02/औ०सं०), उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), टी० सी०-46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

आज्ञा से,

14/09/23
(कौशलेंद्र कुमार)

अधिसासी अभियन्ता (रिफॉर्म)